राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में वित्तीय समावेशन (ग्रामीण महिला स्वयं सहायता हेतु ब्याज सब्सिडी का स्वरूप एवं विश्लेषण)

"The journey of a thousands miles just begin with a small step"

डॉ0 शरद दीक्षित
सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र)
आर0एल0बी0 महाविद्यालय, कानपुर।

डॉ0 ध्रुव दत्त तिवारी
सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र
जनता महाविद्यालय, अजीतमल औरैया

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बेहतर विकास और सामाजिक बदलाव के उद्देश्यों को पूर्ववर्ती कार्यक्रम सथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरीबी हटाओ कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और समाप्त हुई स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्राप्त करने में असफल रहे हैं क्योंकि इनमें आंतरिक विसंगतियाँ थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवकिा मिशन पूर्ववर्ती ग्रामीण विकास के कार्यों में संरचनात्मक सुधार, सर्वतोन्मुखी विकास और गरीबों के हितों का सार्वभौमिक आच्छादन है। यह ग्रामीण विकास का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है। जिसे मिशन के रूप में मई, 2013 से पूरे देश में लागू किया गया है। एक मिशन के रूप में इस कार्यक्रम की आधारिक पृष्ठभूमि ''अधिकतम संख्या की अधिकतम प्रयास'' और ''अधिकतम सामाजिक कल्याण'' एवं ''कल्याणकारी राज्य की स्थापना'' जैसी संकल्पनाओं पर आधारित है। इस मिशन का उद्देश्य है ''ग्रामीण गरीब परिवारों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये स्वयं सहायता समूहों के रूप में उनकी सशक्त एवं स्थायी संस्थायें बनाकर लाभदायक, स्व–रोजगार एवं हुरनमन्द रोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुये गरीबी घटाना जिसके फलस्वरूप उनकी आजीविका में निरन्तर उत्तरोत्तर प्रगति हो सके। यह मिशन सर्वव्यापी सामाजिक प्राचलीकरण (मोबिलाईजेशन) एवं सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन (फाइनेन्सियत इन्क्लूजन) जैसे प्राचालों पर अवलंबित है। यह वित्तीय समावेशन के द्वारा सभी ग्रामीण गरीब परिवारों एवं स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघो को मुख्यधारा की बैंकिग सुविधाओं और ब्याज सब्सिडी को जोड़ने का प्रयास करता है। यह मिशन मृत्यु, स्वास्थ्य एवं अधोसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने और परिसम्पत्तियों को नष्ट होने की स्थिति में ग्रामीण गरीबों के सर्वव्यापी वित्तीय आच्छादन का कार्य करता है। वित्तीय समावेशन और ब्याज सब्सिडी मिशन के ऐसे उपक्रम है जिनसे वंचित गरीब वर्ग वित्त जीविकोपार्जन और विकास की मुख्य धाराओं से सीधे जुड़ जाता है तथा '' सबका विकास, सबके साथ' के उद्घोष को सार्थक करता है। मिशन के इस उद्घोष की सफलता इसके नैष्ठिक क्रियान्वयन और ग्रामीण गरीब वर्ग की लोकप्रिय एवं सक्रिय सहभागिता पर निर्भर है जो कि दिखलाई पड़ रही है।

शोध प्रपत्र का उद्देश्य

इस शोध–प्रपत्र का उद्देश्य एन0आर0एल0एम0 का सार संक्षेप प्रस्तुत करते हुये प्रमुखतः वित्तीय समावेशन की अवधारणा एवं ब्याज सब्सिडी के स्वरूप का चित्रण एवं विश्लेषण करना है।

शोध–प्रविधि

प्रतिपाद्य विषय के विश्लेषण एवं विमर्श हेतु वर्णनात्मक शोध–प्रविधि का प्रयोग किया गया है। अधिकांश समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्री सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करने हेतु इस प्रविधि का प्रयोग करते है। विमर्श, परिमाणन एवं निर्वचन हेतु द्वितीयक संमको, आलेख तथा चित्र का प्रयोग किया गया है।

विमर्श

एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत वित्तीय समावेशन एवं महिला स्वयं सहायता समूह हेतु ब्याज सब्सिडी का स्वरूप एवं विश्लेषण किया गया है तथा मिशन के अन्तर्गत वित्तीय समावेशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों का पूँजीकरण किया गया है। इस पूँजीकरण के चरण निम्नवत् है–

स्वयं सहायता समूहों के पूँजीकरण की प्रक्रिया

पूँजीकरण स्वयं सहायता समूह के प्रथम डोज बैंक क्रेडिट सम्बद्धता भी किया जायेगा जब समूहों को बैंक से दूसरा, तीसरा एवं चौथा डोज क्रेडिट उपलब्ध कराया जायेगा। स्वयं सहायता समूह के अतरिक्त कम्प्लायंट समूह भी होता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गठित सभी महिला स्वयं सहायता समूह एन0आर0एल0एम0 कम्प्लायंट समूह के अन्तर्गत आते है। एन0आर0एल0एम0 कम्प्लायंट समूह वे हैं जिसमें सभी सदस्य महिलायें होती हैं और समूह की कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य बी0पी0एल0 परिवार से होती हैं। बचत खाता खुलवाना या वित्तीय समावेशन मिशन के फील्ड स्टॉफ जैसे एस0एच0जी0 बुक कीपर, समूह सखी, बैंक मित्र, ब्लॉक मैनेजर और ए0डी0ओ0 इस प्रक्रिया को सम्पन्न कराते हैं। स्वयं सहायता समूह के मध्य आन्तरिक ऋण लेन–देन को बढ़ावा देने के लिये, समूह के सदस्य छोटी–छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिये समूह की कार्पस राशि बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन को देने के लिये मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र समूह को रु0 10000/– से रु0 15000/– तक की राशि उपलब्ध करायी जाती है। समूह गठन के 3–4 माह नियमित आन्तरिक ऋण लेन–देन, नियमित बचत, नियमित पुर्नभुगतान नियमित बैठक द्वारा राशि का रख–रखाव एवं परिक्रमी निधि के मापदंड को पूरा करते हैं। परिक्रमी निधि दिये जोने के मापदण्ड हैं– समूह एम0आर0एल0एम0 कम्प्लायंट समूह हो, समूह कम से कम 3–4 पुराना हो एवं पंचसूत्र का पालन कर रहा हो।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत खुले बैंक खाते

(27 April 2016 तक)

क्र0सं0	खाते एवं उनके प्रकार	राशि (करोड़ रु0)
01	ग्रामीण	13.30
02	नगरीय	08.87
03	कुल	21.68
04	आधार से जुड़े खाते	09.58
05	खातों में बैलेंस	3695.55
06	जीरो बैलेंस खाते	26.39

स्रोत– शर्मा, हरिकिशन, कुरूक्षेत्र जून 2016 पृष्ठ–17

सरल शब्दों में **''वित्तीय समावेशन का तात्पर्य है लोगों द्वारा बैकों में खाता खोलना''**। इसकी शुरूआत भारत में देर से हुई अतः भारत ब्रिक्स देशों में सबसे पीछे है। इस स्थिति को आरेख सं0–1 द्वारा निम्नवत ज्ञापित किया जा सकता है।

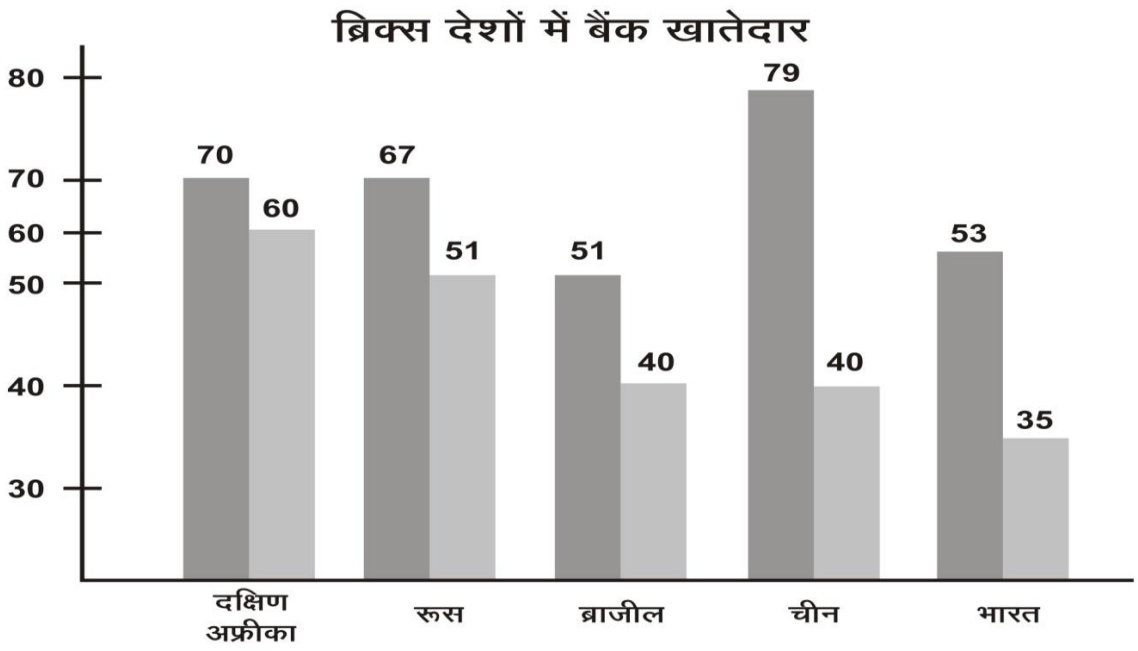

श्रोतः– अमर उजाला कानपुर संस्करण, 26 मई 2016

आरेख संख्या–1

समूहों की ग्रेडिंग ग्राम संगठन द्वारा जहाँ ग्राम संगठन नहीं है वहाँ ग्राम स्तर पर महिलाओं की अनौपचारिक समिति ग्रेडिंग करेगी। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एन0आर0एल0एम0 एक मौलिक एवं संरचानात्मक प्रयास है। जिसमें गरीब, निर्बल वर्ग और बी0पी0एल0 महिला समुदाय सामाजिक एवं वित्तीय समावेशन द्वारा स्वरोजगार, हुनरमंद रोजगार प्राप्त करके अपनी आजीवका का सृजन एवं संवर्द्धन कर सकते है। वस्तुतः मिशन इनके जीवन शिल्प को बदलने का प्रयास कर रहा है। इसके प्रयास भारत में व्याप्त अन्तर्भूत गरीबों की जड़ों पर मारक और प्रत्यक्ष प्रसार करने वाले है। लेकिन कुछ आलोच्य बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है यथा मिशन में जिस प्रकार के आजीवका सृजन एवं संवर्द्धन की बात की जा रही है यथा महिला सशक्तिकरण के माध्यम से कृषि एवं पशुपालन या कौशल विकास के माध्यम से हुनरमंद मजूदरी एवं लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने की बात इनसे भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में मात्र जीवन निर्वाह स्तर की आय उत्पन्न होगी अथवा संक्रामित और अस्थायी आय का सृजन होगा जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक सतत् और स्थायी आय के सृजन की है क्योंकि यहाँ गरीबी एक स्थायी घटना है। दूसरी बात ग्राम नगर अन्तराल तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि नगरों में तकनीकी रूपान्तरण तेजी से हो रहा है। ऐसे में ग्राम नगर आयगत अन्तराल बढ़ेगा इसलिए ग्राम क्षेत्रों में सापेक्ष गरीबी तो बनी ही रहेगी। फिर मिशन के अन्तर्गत सृजित रोजगार के अवसर प्राथमिक प्रौद्योगिकीय विकास के प्रयप्त प्रभाव (बैकवाश प्रभाव) से प्रभावित घटक बना रहेगा। वित्तीय समावेशन के द्वारा यदि गरीबी के रेखा के ऊपर बी0पी0एल0 परिवार एवं महिला स्वयं सहायता समूह आ भी जाये तो यह गारंटी नहीं है कि वे इस रेखा के ऊपर ही बने रहेगें क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की नगरीय आर्थिक प्रावैगिक प्रवृत्तियां उन्हें नीचे ढकेल देती है। और इस बात की क्या मंजूरी है कि मुख्यधारा की बैंकिग प्रणाली महिला स्वयं सहायता सहायता समूह को पूरी तरह से आत्मसात कर लेगी क्योंकि बैंकिग व्यवस्था अपने लाभप्रद वित्तीय नियोजन के अनुसार की कार्य करेगी अतः वह घाटे का सौदा करेगी। इसलिए यह नितांत अपेक्षित है कि अनुभवों एवं सीख के आधार पर एन0आर0एल0एम0 अपने निर्धारित उद्देश्यों एव क्रियान्वयन में संशोधन करता रहे। इस हेतू मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य स्तर पर निरंतर मॉनीटरिंग की जाय। ग्रामीण वर्ग की लोकप्रिय सहभागिता उत्पन्न हो तथा प्रशासनरी मशीनरी जबाबदेह बनी रहे।

संदर्भ

1. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवका मिशन–स्वयं सहायता समूह के चरण एवं सूक्ष्म वित्त सम्बन्धित पुस्तिका।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट–2014–15 पृष्ठ 19–42।
3. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीवका मिशन–समूह से समृद्धि की ओर (पत्रक)।
4. अमर उजाला, कानपुर संस्करण, उत्तर प्रदेश, 26 मई, 2016।
5. शर्मा, हरिकिशन, ''जन–धन'' की नींव पर 'जनसुरक्षा' की इमारत, कुरूक्षेत्र, जून 2016।
6. ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार , लखनऊ : स्वयं सहायता समूहों को इंटरेस्ट सबर्वेशन–समूह से समृद्धि की ओर (पुस्तिका)।

7. प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार : भारत 2015, अध्याय ग्रामीण और शहरी विकास, पृष्ठ 634–6881

8. श्रीनिवासन, जी0 ''नेशनल लाइवलीहुड्स मिशन'' कुरूक्षेत्र, नं0 12, अक्टूबर 2011।

9. सिंह, चरण दाधीच, सी0 एल0 एवं अनंत, एस0, वित्तीय समावेशन और सामाजिक बदलाव'' योजना, अंक 8, अगस्त 2015।

Copyright © 2017 Dr. *Sharad Dixit and Dr. Dhruv Dutt Tiwari*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.